न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–25/2013/टोंक (2013/00028)

1. घनश्याम पुत्र श्रीधर, जाति ब्राहमण्, निवासी ग्राम साखंना, हाल निवासी मौहल्ला पालूकान, मियॉ का चौक, पुरानी टोंक, जिला टोंक ।

अपीलांट

बनाम

1. तहसीलदार, टोंक ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध नामांतकरण संख्या 1067 दिनांक 26.7.2011 तहसील, टोंक .

उपस्थितः–

1. श्री हेमराज गुप्ता, वकील अपीलांट ।
2. श्री गुजंल, पैरोकार सरकार ।

निर्णय

दिनांक :– 9.7.2018

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, टोंक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित नामांतकरण संख्या 1067 दिनांक 26.7.2011 दिनांक 20. 12.2010 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 26.6.1973 को भूमि साबिक खसरा नंबर 903 हाल खसरा नंबर 1130/8 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम सांखना तह0 व जिला टोंक में आवंटन की गई थी तथा आवंटन की दिनांक से अपीलांट विवादित भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है । अपीलांट ने उक्त भूमि

को आधोली पर बुद्धिप्रकाश नाम के व्यक्ति को दी थी । राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि से राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि को सिवायचक अंकित कर दिया गया, जिसका नाजायज फायदा उठाने की गरज से अपीलांट द्वारा बताये गये आधोली ने सन् 1986 में दुबारा आवंटित भूमि का आवंटन करा लिया । पश्चात्वर्ती आवंटन को अपीलांट द्वारा सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई जिसे राजस्व न्यायालय द्वारा निरस्त कर प्रार्थी के आवंटन की पुष्टि की गई । तत्पश्चात् अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, टोंक के यहां एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवंटित भूमि का अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने की प्रार्थना की जाने पर उपखण्ड अधिकारी, टोंक ने पत्र क्रमांक 1205/11 के द्वारा तहसीलदार, टोंक को पत्र प्रति प्रेषित किया गया । तहसीलदार, टोंक ने आदेश दिनांक 26.7.2011 के द्वारा प्रार्थी का नामांतकरण खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट के उपस्थित होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विवादित आराजी अपीलांट को भूमिहीन काश्तकार होने से आवंटन सलाहकार समिति द्वारा वैधानिक रूप से आवंटित की गई थी तथा उक्त आवंटन को आदिनांक किसी भी सक्षम न्यायालय ने अवैध करार नहीं दिया है परन्तु इसके बावजूद तहसीलदार, टोंक ने आवंटन का नामांतकरण स्वीकार नहीं कर वैधानिक त्रुटि की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अपीलांट आवंटित भूमि पर काबिज रहा है एवं आवंटन की शर्तो की पूर्ण रूप से पालना की है इसके बावजूद तहसीलदार, टोंक ने अपीलाधीन नामांतकरण खारिज किया है, जबकि प्रार्थी/अपीलांट ने स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित किया था कि आवंटित भूमि पर अपीलांट के द्वारा 8–10 वर्षो तक काश्त की तथा बाद में भूमि को आधोली पर दी किन्तु विवादित आवंटित भूमि सहवन से राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर आधोली ने विवादित भूमि का पश्चात्वर्ती आवंटन अपने नाम करा लिया जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलांट की साक्ष्य लिये बिना तथा बिना किसी जांच पड़ताल के चुपचाप तहसील कार्यालय में बैठकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में यह भी कथन किया कि अपीलांट के आवंटन को निरस्त किये जाने के संबंध में तहसीलदार द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है । तहसीलदार को आवंटन आदेश की पालना में अपीलांट के नाम नामांतकरण तस्दीक करना चाहिये था किन्तु तहसीलदार ने ऐसा न कर त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0

का आदेश दिनांक 26.7.2011 अपास्त किया जावे एवं अपीलांट के हक में नामांतकरण स्वीकार करने के आदेश प्रदान किये जावे । xx

4- अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि तहसीलदार, टोंक द्वारा पारित आदेश की जानकारी अपीलांट को पूर्व में नहीं हो सकी थी क्योंकि तहसीलदार, टोंक द्वारा पारित आदेश अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया गया था । अपीलांट द्वारा तहसील कार्यालय में जाकर जमाबंदी की नकल चाहे जाने पर अपीलाधीन आदेश के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर दिनाक 18.4.2013 को नकल हेतु आवेदन किया एवं दिनांक 26.4. 2013 को नकल उपलब्ध करवाई गई । नकल प्राप्त होने के उपरांत अपीलांट ने बिना किसी विलंब के जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

5- विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । अपीलांट का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से तथा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज की गई है । अपील अपीलांट अपास्त की जावे ।

6- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । मियाद के बिन्दू से किसी भी प्रकरण का गुणावगुण पर अंतिम विनिश्चयन नहीं हो सकता है इसलिये हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

7- प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजातात का अवलोकन किया एवं उभयपक्षअभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । पटवारी हल्का द्वारा विवादित भूमि खसरा नंबर 1130/8 रकबा 5 बीघा सिवाचक भूमि का नामांतकरण अपीलांट के पक्ष में दिनांक 16.6.2011 को भरा जाकर तहसीलदार, टोंक के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार, टोंक ने आदेश दिनांक 26.7.2011 द्वारा नामांतकरण इस आधार पर खारिज किया है कि मुताबिक रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई है । अतः नामांतकरण खारिज किया जाता है । इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध आवंटन आदेश की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 903/1 में से रकबा 5 बीघा भूमि का आवंटन अपीलांट घनश्याम पुत्र श्रीधर जाति ब्राहमण को दिनांक 26.6. 1973 को आवंटन की गई थी । उक्त आवंटन की पालना में विवादित आवंटित भूमि का बटा नंबर 903/6 कायम कर आवंटित भूमि का कब्जा

अपीलांट को सुपुर्द किया गया है । उक्त सुपुर्दगीनामें से आवंटित भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त होने की पुष्टि होती है । तत्पश्चात् विवादित भूमि का आवंटन आदेश दिनांक 26.6.1973 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं होने से विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज रही तथा उक्त आवंटित भूमि खसरा नंबर 903 रकबा 5 बीघा भूमि का पुनः पश्चात्वर्ती आवंटन दिनांक 17.5.1986 को बुद्धिप्रकाश पुत्र रामेश्वर प्रसाद, जाति ब्राहमण को किया गया है। अपीलांट ने बुद्धिप्रकाश को हुए पश्चात्वर्ती आवंटन को प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) के तहत विद्वान जिला कलक्टर, टोंक के न्यायालय में चुनौती दी जाने पर विद्वान जिला कलक्टर, टोंक ने अपीलांट घनश्याम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर बुद्धिप्रकाश के पक्ष में किये गये आवंटन को पश्चात्वर्ती मानते हुए आवंटन दिनांक 17.5.1986 को आदेश दिनांक 11.11.1991 द्वारा अपास्त किया गया। विद्वान जिला कलक्टर, टोंक के आदेश के विरूद्ध बुद्धिप्रकाश ने न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के न्यायालय में चुनौती दी जिसे न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक ने निर्णय दिनांक 12.8.1999 से बुद्धिप्रकाश की अपील खारिज की । न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के निर्णय के विरूद्ध बुद्धिप्रकाश ने मान0 न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर के न्यायालय में निगरानी/89/99/एल0आर0/टोंक प्रस्तुत की जिसे मान0 मण्डल ने निर्णय दिनांक 9.4.2003 द्वारा निगरानीकर्ता बुद्धिप्रकाश की निगरानी खारिज की गई । अर्थात् अपीलांट के पक्ष में हुआ प्रथम आवंटन आदेश दिनांक 26.6.1973 आज भी यथावत् है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार, टोंक ने पत्रांक 711 दिनांक 15.2.2011 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, टोंक से अपीलांट के पक्ष में हुए आवंटन आदेश की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु आदेश प्रदान करने का निवेदन किया था जिस पर उपखण्ड अधिकारी, टोंक ने पत्र क्रमांक 608 दिनांक 7.3.2011 द्वारा तहसीलदार को यह निर्देश दिये है कि आवंटी घनश्याम पुत्र श्रीधर शर्मा द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की जा रही है अथवा नहीं ? यदि आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की जा रही है तो धारा 14 (4) के तहत आवंटन निरस्त कराने की कार्यवाही प्रस्तावित करे । तत्पश्चात् तहसीलदार, टोंक ने अपने पत्र क्रमांक 1792 दिनांक 20.4.2011 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, टोंक को अवगत कराया कि " घनश्याम शर्मा द्वारा आवंटन के पश्चात् संवत् 2038, 2039 एवं 2042 में आवंटित भूमि पर काश्त की गई है । अतः आवंटन नियम 14 (4) के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । चूंकि प्रार्थी को हाल बंदोबस्त से पूर्व आवंटन किया गया है । अतः न्यायालय के आदेश के अनुसार अमल दरामद हेतु उचित आदेश प्रदान करने की कृपा करे । " तहसीलदार के उक्त पत्र के क्रम में उपखण्ड अधिकारी, टोंक ने तहसीदलार, टोक को नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में उक्त आवंटी का गैर खातेदारी हक पर अमल दरामद किये जाने के निर्देश पत्र दिनांक 11.5. 2011 द्वारा दिये गये । उपखण्ड अधिकारी, टोंक के पत्र दिनांक 11.5.

2011 की पालना में पटवारी हल्का ने अपीलांट के पक्ष में विवादित आवंटित भूमि का नामांतकरण संख्या 1067 भरकर तहसीलदार, टोंक के समक्ष प्रस्तुत किया जाने पर भू–अभिलेख निरीक्षक ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि ''पटवारी एवं आदेश श्रीमान् एस0डी0ओ0 सा0 व तहसीलदार टोंक की पालना में दर्ज किया गया है, अंकन सही है ।'' किन्तु आई0एल0आर0 ने अपनी उक्त रिपोर्ट में आगे भिन्न स्याही से यह रिपोर्ट जोड़ी है कि '' एवं आवंटी द्वारा शर्तो की पालना नहीं की है एवे मौके पर कब्जा नहीं है । नामांतकरण अस्वीकार योग्य है ।'' भू–अभिलेख निरीक्षक की बाद में भिन्न स्याही से जोड़ी गई उक्त रिपोर्ट संदेहास्पद है । भू–अभिलेख निरीक्षक ने उक्त रिपोर्ट किस आधार पर तथा किस आदेश से अंकित की है इस संबंध में तहसीलदार, टोंक ने भी अपने आदेश में कोई हवाला नहीं दिया है । ऐसा प्रतीत होता है कि भू–अभिलेख निरीक्षक ने उक्त अंकन बदनियतिपूर्वक बाद में अपनी रिपोर्ट में जोड़ा है जबकि पटवारी हल्का ने अपनी पूर्व जांच रिपोर्ट में विवादित आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त होना अंकित किया है तथा धारा 14(4) की कार्यवाही किये जाने योग्य प्रकरण नहीं माना है । तहसीलदार, टोंक के सम्मुख यह तथ्य प्रकट थे कि विवादित भूमि का आवंटन अपीलांट को सन् 1973 में हुआ है तथा विवादित भूमि पश्चात्र्ती आवंटन भी निरस्त हो चुका है तथा सुपुर्दगीनामा एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट से यह भी प्रकट था कि विवादित भूमि पर अपीलांट/आवंटी का ही कब्जा काश्त है तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार, टोंक को आवंटन आदेश दिनांक 26.6.1973 की पालना में अपीलांट के नाम आवंटित भूमि का गैर खातेदारी का नामांतकरण स्वीकृत करना चाहिये था किन्तु तहसीलदार, टोंक ने ऐसा न कर भू–अभिलेख निरीक्षक की संदेहास्पद रिपोर्ट पर विश्वास कर नामांतकरण संख्या 1067 को अपास्त करने में त्रुटि कारित की है ।

8- उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट स्वीकार योग्य तहसीलदार, टोंक द्वारा पारित नामांतकरण संख्या 1067 निर्णय दिनांक 26.7.2011 अपास्त योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 25/2013 (2013/00028) बउनवानी घनश्याम बनाम सरकार को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, टोंक द्वारा निर्णित नामांतकरण संख्या 1067 दिनांक 26.7.2011 को अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, टोंक को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वाके ग्राम सांखना के खसरा संख्या 1130 रकबा 5 बीघा का अपीलांट के पक्ष में हुए आवंटन आदेश दिनांक 26.6.1973 की पालना में अपीलांट के पक्ष में गैर खातेदारी का नामांतकरण तस्दीक कर राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद किया जावे एवं साथ ही तत्कालीन भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा अंकित संदेहास्पद जांच टिप्पणी बाबत् अपने स्तर से जांच करवाई जावे एवं

जांच में अनियमितता एवं जालसाजी पाये जाने पर दोषी भू–अभिलेख निरीक्षक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन जिला कलक्टर, टोंक को प्रेषित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 9.7.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर